उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार

दूरभाष संख्या– (01334) 244143, 242331,242332

UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION

सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा)/सहायक लेखाकार/निरीक्षक विधिक माप विज्ञान परीक्षा–2012

विज्ञापन संख्या – ए–4/ई–1/2012–13

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि – 09 अगस्त, 2012

आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि– 10 सितम्बर, 2012

विस्तृत विज्ञापन आयोग की वेबसाइट–**www. ukpsc.gov.in** पर देखा जा सकता है।

अति महत्वपूर्ण निर्देशः–

1– अभ्यर्थी अपने उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के **कॉलम–14, 15 व 16** में अवश्य करें तथा तत्सम्बन्धी गोले को भी काले अथवा नीले बॉल प्वाइंट पेन से अवश्य काला/नीला करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट् याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0(एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.07.2010 के क्रम में आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र विज्ञापन की अन्तिम तिथि तक अवश्य होना चाहिए।

2– अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि अर्थात् 10 सितम्बर, 2012 तक अनिवार्य शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) व सहायक लेखाकार के पद पर चयन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी के पास कम्प्यूटर संचालन में ''ओ'' लेवल का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। परीक्षा के आगामी चरण में उक्त प्रमाण पत्र आयोग को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

3– अभ्यर्थी अपने ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र की फोटो प्रति करवाकर अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले समस्त पत्राचार में उक्त ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र संख्या का उल्लेख अवश्य करें। सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्रों की छायाप्रति प्रदान करने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अधीन प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

4– फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से अधिकतम 10 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा।

5– आयोग में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु, वैकल्पिक विषय एवं परीक्षा केन्द्र आदि में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6– अभ्यर्थी इस विज्ञापन द्वारा विज्ञापित पदों के सापेक्ष मात्र एक ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे। एक ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के माध्यम से किया गया आवेदन समस्त विज्ञापित पदों (सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा)/सहायक लेखाकार/निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान) हेतु मान्य होगा। अभ्यर्थी को प्रत्येक पद हेतु पृथक–पृथक आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अतः एक नाम से एक से अधिक ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र, चाहे किसी भी कारणवश किये गये हों, कदापि स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा ऐसे सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

7– आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें तथा ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र को सही–सही भरें। ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियां, जो लागू हों, उसे यथास्थान अवश्य प्रविष्ट करें।

8– सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा)/सहायक लेखाकार/निरीक्षक विधिक माप विज्ञान परीक्षा–2012 का विस्तृत विज्ञापन तथा पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट– **www.ukpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा **''सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा)/सहायक लेखाकार/निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान परीक्षा–2012''** हेतु उपयुक्त अभ्ययर्थियों से ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु हरिद्वार एवं नैनीताल जनपद के विभिन्न केन्द्रों पर मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आवेदन पत्र अत्यधिक संख्या में प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियो की छंटनी हेतु इस विज्ञापन के **''परिशिष्ट–1''** में उल्लिखित विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर एक प्रारम्भिक स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्रों/परीक्षा तिथि की सूचना उन्हें प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी। इच्छुक अभ्यर्थियों को ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र इस विज्ञापन के **क्रमांक–11(1)** में उल्लिखित शुल्क जमा करते हुये **क्रमांक–13** में उल्लिखित डाकघरों/उप डाकघरों से प्राप्त किये जा सकते हैं।

रिक्तियों की संख्या : रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या 31 है। रिक्तियों की यह संख्या घट–बढ़ सकती है। रिक्तियों का पदवार विवरण निम्नवत हैः–

क्र0 सं0	पदनाम/विभाग का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या	आरक्षण श्रेणीवार			
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) सचिवालय प्रशासन विभाग	5200–20200 ग्रेड पे–2800	21	13	04	01	03
2.	सहायक लेखाकार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग	5200–20200 ग्रेड पे–2800	02	02	–	–	–
3.	निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	5200–20200 ग्रेड पे–2800	08	05	02	–	01

2. पदों हेतु अर्हताएंः–

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :–

(i) सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) – सचिवालय प्रशासन विभाग :

(अ) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी0काम एकाउन्टेन्सी के साथ स्नातक उपाधि एवं कम्प्यूटर संचालन में अनुभव का 'ओ' लेवल का प्रमाण–पत्र।

(ब) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का ज्ञान।

(ii) सहायक लेखाकार – उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग :

(अ) बी.काम या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी तथा कम्प्यूटर संचालन में 'ओ' लेवल का सर्टिफिकेट, जिसमें कम्प्यूटर पर 5000 की–डिप्रेशन (Key Depression) प्रतिघण्टा की गति होना आवश्यक है।

(ब) देवनागरी लिपि में हिन्दी का ज्ञान।

(iii) निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान – खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग :

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अर्हता हो और उसे देवनागरी लिपि में हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान हो।

(ख) **अधिमानी अर्हता :–** अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा, जिसने : (1) जिन्होंने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम् 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या,
(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

(ग) भर्ती के लिए अनिवार्य अर्हता–

''उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली 2010'' के नियम 04 के अनुसार **'लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों पर भर्ती हेतु वहीं अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होगा।'** अतः वही अभ्यर्थी आवेदन करें, जिनका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में अवश्य पंजीकृत हो। पंजीकरण प्रमाण पत्र अद्यतन होना आवश्यक है। अभ्यर्थी पंजीकरण प्रमाण पत्र अपने पास रखें तथा ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के कॉलम संख्या– 24 को अनिवार्यतः पूर्ण रूप से भरकर ही आयोग कार्यालय को प्रेषित करें। ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के साथ संलग्न अनुदेश पुस्तिका के बिन्दु संख्या– 24 के नोट को इस प्रकार संशोधित समझा जाय **''रोजगार कार्यालय में पंजीकरण आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक अवश्य होना चाहिए।''**

नोट :– शासन के पत्रांकः 1097/XXX (2)/2011, दिनांक 08 अगस्त, 2011 के अनुसार ''जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है, किन्तु समूह 'ग' के पद हेतु आवेदन करने के इच्छुक है और आयोग के अधीन समूह 'ग' की प्रतियोगितात्मक परीक्षा देना चाहते हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं है।'' किन्तु ऐसे अभ्यर्थी ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के क्रम संख्या 24 में "हाँ" (yes) का अंकन अवश्य करें।

3. राष्ट्रीयता : सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–
(क) भारत का नागरिक हो; या (ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी,1962 के पूर्व भारत आया हो; या (ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया होः परन्तु ऊपर श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह सरकार से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेः

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जायेगा कि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

टिप्पणी :– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जायेगा या उसके पक्ष में जारी कर दिया जायेगा।

4. चरित्र :– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।
टिप्पणी :– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

5. वैवाहिक प्रास्थिति :– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो; परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

6. शारीरिक स्वस्थता :– किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा कि जब तक कि मानसिक व शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे (क) राजपत्रित पद या सेवा के मामले में आयुर्विज्ञान परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, (ख) सेवा के अन्य पदों के मामले में वित्तीय हस्त–पुस्तिका के खण्ड–2 भाग–3 के अध्याय तीन में समाविष्ट मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

7. वेतनमानः– वेतन बैण्ड–1, ₹ 5200–20200, ग्रेड पे ₹ 2800

8. पेंशन :– शासन की अधिसूचना संख्याः 21/XXVII(7)अं0पे0यो0/2005, दिनांक 15 अक्टूबर, 2005 के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के पेंशन के सम्बन्ध में ''अंशदायी पेंशन योजना'' के प्राविधान लागू होंगे।

9. आरक्षण : ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण, **शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश** के आधार पर **केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को** अनुमन्य होगा। आरक्षण संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।
(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, पूर्व सैनिक, विशिष्ट खिलाड़ी, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी/उनके पात्र आश्रित, निःशक्त (विकलांग) तथा महिला श्रेणी के **ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।** ऐसे अभ्यर्थी केवल अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन कर सकेंगे।
(ख) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।
(ग) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अन्तिम तिथि तक अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में इस विज्ञापन के ''परिशिष्ट–2'' में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख **''परिशिष्ट–2''** में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण–पत्र, सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया होना आवश्यक है। जहाँ शपथ–पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहाँ वांछित शपथ–पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित हो।

10. <u>आयु–सीमा :–</u> (क) सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा)/सहायक लेखाकार/निरीक्षक विधिक माप विज्ञान हेतु आयु न्यूनतम 21 वर्ष की होनी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। **आयु गणना की विनिश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2012 है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई, 1977 से पूर्व का नहीं होना चाहिए तथा 01 जुलाई, 1991 के बाद का नहीं होना चाहिए।**

(ख) <u>उच्चतम आयु सीमा में छूटः–</u> विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय–समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

11. <u>शुल्क :–</u>

(1) <u>प्रारम्भिक स्क्रीनिंग परीक्षा हेतुः–</u> प्रत्येक अभ्यर्थी से ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र की कीमत के रूप में शुल्क लिया जाएगा, जिसका विवरण ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के लिफाफे पर मुद्रित है। अनारक्षित (सामान्य)/ उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी/उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थी व अन्य राज्य के सभी अभ्यर्थियों के लिए ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र की कीमत **₹** 220/– तथा उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/उत्तराखण्ड अनुसूचित जन जाति/उत्तराखण्ड शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शुल्क **₹** 130 है।

उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक/विशिष्ट खिलाड़ी/महिला/उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी तथा उनके पात्र आश्रित जिस वर्ग या श्रेणी, यथा–अनारक्षित या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के होंगे उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

<u>नोट :–</u> अभ्यर्थियों द्वारा ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के साथ ट्रेजरी चालान या बैंक ड्राफ्ट या अन्य किसी माध्यम से कोई अतिरिक्त शुल्क अदा नहीं किया जाना है।

(2) <u>मुख्य परीक्षा हेतुः</u> प्रारम्भिक स्क्रीनिंग परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा का शुल्क नियमानुसार देना होगा।

12. <u>परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रमः</u> विज्ञापन के **परिशिष्ट–3** में परीक्षा की योजना तथा प्रारम्भिक स्क्रीनिंग परीक्षा व लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम स्पष्ट किया गया है।

13. <u>आवेदन कैसे करें:–</u>

परीक्षा हेतु ओ.एम.आर. आवेदन पत्र निर्देशों सहित **<u>दिनांक 09 अगस्त, 2012</u>** से निम्नलिखित डाकघरों से **क्रमांक–11 (1)** में निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं। अभ्यर्थी ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के साथ संलग्न **''ओ.एम.आर. आवेदन पत्र भरने हेतु निर्देश''** डाकघर से अवश्य प्राप्त कर लें। ओ0एम0आर0 आवेदन पत्रों को भरने से पहले अभ्यर्थी उक्त निर्देशों को तथा इस विज्ञापन के समस्त बिन्दुओं (विशेषकर बिन्दु–14) को, ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें।

<u>जिलेवार डाकघर की शाखायें जहाँ से ओ0एम0आर0 आवेदन–पत्र प्राप्त किये जा सकते हैं:–</u>

(1) अल्मोड़ा– मुख्य डाकघर–अल्मोड़ा, प्रधान डाकघर–रानीखेत, भिकियासैण, द्वाराहाट, मासी,।
(2) बागेश्वर– मुख्य डाकघर–बागेश्वर, बैजनाथ, कपकोट, कांडा।
(3) चमोली– मुख्य डाकघर–गोपेश्वर, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग।
(4) चम्पावत– मुख्य डाकघर–चम्पावत, लोहाघाट, देवीधूरा, टनकपुर।
(5) देहरादून–देहरादून–(जी.पी.ओ.), मसूरी, ऋषिकेश, विकास नगर, प्रेमनगर, राजपुर, डोईवाला, चकराता।
(6) हरिद्वार– मुख्य डाकघर–हरिद्वार, रूड़की, लक्सर, बी.एच.ई.एल., हरिद्वार।

(7) नैनीताल– मुख्य डाकघर–नैनीताल, रामनगर, हल्द्वानी, ओखलकांडा।

(8) गढ़वाल– मुख्य डाकघर–पौड़ी, कोटद्वार, लैन्सडाउन, श्रीनगर, धूमाकोट।

(9) पिथौरागढ़– मुख्य डाकघर–पिथौरागढ़, गंगोलीहाट, बेरीनाग, डीडीहाट, धारचूला, थल, मुन्सियारी।

(10) रूद्रप्रयाग– मुख्य डाकघर–रूद्रप्रयाग, ऊखीमठ।

(11) टिहरी गढ़वाल– मुख्य डाकघर–न्यू टिहरी, नरेन्द्र नगर, घनसाली।

(12) ऊधम सिंह नगर– मुख्य डाकघर–रूद्रपुर, पन्तनगर, काशीपुर, खटीमा।

(13) उत्तरकाशी– मुख्य डाकघर–उत्तरकाशी, बड़कोट, पुरोला।

14. ओ0एम0आर0 आवेदन–पत्र भरने हेतु अनुदेशः–

आवेदन पत्र अभ्यर्थी स्वयं भरें । चूंकि ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र की कम्प्यूटर द्वारा स्कैनिंग की जाएगी, अतः अभ्यर्थी आवेदन पत्र के रख–रखाव और उसे भरने में पूर्ण सावधानी बरतें। ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में समस्त प्रविष्टियां काले अथवा नीले बॉल प्वाइंट पेन से करें।

(1) ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के **कॉलम–1 व 2** में अभ्यर्थी क्रमशः अपना नाम व पिता/पति का नाम भरें।

(2) ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के **कॉलम–3** में अभ्यर्थी अपना पत्र व्यवहार का पता व पिन कोड भरें।

(3) ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के **कॉलम–4 व 5** में अभ्यर्थी क्रमशः अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चस्पा करें व हस्ताक्षर करें।

(4) ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के **कॉलम–6** में अभ्यर्थी विज्ञापन संख्या **ए–4/ई0–1/2012–13** भरें।

(5) ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के **कॉलम–7** (परीक्षा का नाम) के वृत्त में अभ्यर्थी **"Others"** भरें जबकि सम्बन्धित बॉक्स में **Accountant / Inspector** भरें।

(6) ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के **कॉलम–8** में अभ्यर्थी परीक्षा का वर्ष **2012** भरें।

(7) ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के **कॉलम–9, 10 व 11** में अभ्यर्थी क्रमशः अपनी जन्म तिथि, लिंग व नागरिकता भरें।

(8) ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के **कॉलम–12** में अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र कोड विज्ञापन के **परिशिष्ट–1** के अनुसार भरें।

(9) ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के **कॉलम–13** में अभ्यर्थी मूल/स्थायी निवास की सूचना भरें।

(10) ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के **कॉलम–14, 15 व 16** में अभ्यर्थी, यदि आरक्षण का लाभ चाहते हैं तो, अपनी उर्ध्वाधर/क्षैतिज आरक्षण श्रेणी (एक या एक से अधिक जो भी हो) की सूचना भरें। **कॉलम–14, 15 व 16 में अपनी आरक्षण श्रेणी के अनुसार आरक्षण का दावा न करने वाले अभ्यर्थी को किसी भी दशा में आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।**

(11) ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के कॉलम–17 को रिक्त छोड़ दें। प्रारम्भिक स्क्रीनिंग परीक्षा में वैकल्पिक विषय नहीं हैं।

(12) ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के कॉलम–18 में अभ्यर्थी आवेदित पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने की वह तिथि भरें, जो उक्त अर्हता प्राप्त किए जाने से संबंधित अंकतालिका में अंकित हो। जो अभ्यर्थी आवेदित पद की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अन्तिम तिथि 10 सितम्बर, 2012 तक पूर्ण नहीं करते हैं अथवा अन्तिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हों अथवा जिनका परीक्षाफल आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक प्राप्त न हुआ हो, वे उक्त पदों के लिए आवेदन न करें।

(13) ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के कॉलम–19 में आयु सीमा में छूट पाने हेतु अपनी श्रेणी/उपश्रेणी भरें। कॉलम–19 में अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के अनुसार आयु में छूट का दावा न करने वाले अभ्यर्थी को किसी भी दशा में आयु सीमा में कोई छूट प्रदान नहीं दी जाएगी।

अभ्यर्थी यदि कॉलम–19 में एक से अधिक श्रेणी/उप श्रेणियों में आयु सीमा में छूट प्रदान किये जाने का दावा करते हैं तो वह केवल एक श्रेणी/उप श्रेणी जो उनके लिए अधिक लाभदायक होगी, के अन्तर्गत ही आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा।

(14) ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के **कॉलम–20, 21व 22** में अभ्यर्थी, ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के साथ प्राप्त अनुदेश के तालिका 1 व 2 के अनुसार सूचना **विशेष ध्यानपूर्वक** भरें।

(15) ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के **कॉलम–23** में अभ्यर्थी अपना स्थायी पता व पिन कोड भरें।

(16) ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र का **कॉलम–24** अभ्यर्थी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संबंधी सूचना भरे।

(17) ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के **कॉलम–25, 26 व 27 में** घोषणा को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा स्थान, दिनांक की सूचना सहित नाम व हस्ताक्षर अंकित करें। **कॉलम–27 में अभ्यर्थी का हस्ताक्षर न होने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।**

15. संलग्नक: अभ्यर्थी ओ0एम0आर0 आवेदन–पत्र के साथ आवश्यक अभिलेखों को निम्नलिखित क्रम में संलग्न करें :–

(1) पावती हेतु अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ अपना पूरा पता लिखा एक पोस्ट कार्ड अवश्य संलग्न करें, जिस पर पद का नाम, विज्ञापन संख्या तथा अभ्यर्थी का पूरा पता अंकित होना चाहिए।

(2) अभ्यर्थी अपने ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर नवीनतम् फोटोग्राफ चस्पा करे तथा फोटो के नीचे पठनीय हस्ताक्षर भी करें। उक्त अनुदेश का पालन न करने पर आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

नोट : ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के विभिन्न स्तम्भों में अंकित सूचनाओं के अतिरिक्त कोई अन्य प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं करना है।

16. आवेदन–पत्र कार्यालय में प्राप्त होने की अन्तिम तिथि: सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन–पत्र समस्त संलग्नकों सहित डाक अथवा अन्य किसी भी माध्यम से **सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार–249404** के कार्यालय में **दिनांक 10 सितम्बर, 2012 की सायं 06.00 बजे** तक अथवा उसके पूर्व अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिए। अभ्यर्थी आवेदन–पत्र आयोग कार्यालय के डाक काउन्टर पर उक्त अन्तिम तिथि तक हाथों–हाथ भी जमा कर सकते है। अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों को अस्वीकार करते हुए कालबाधित **(Time Barred)** अंकित कर वापस कर दिया जायेगा। फैक्स द्वारा प्रेषित आवेदन–पत्र/बैरंग आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। **डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।**

17. मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश :–

(1) आयोग द्वारा प्रारम्भिक स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित किए जाने की दशा में सफल घोषित होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किए जायेंगे, परन्तु प्रारम्भिक परीक्षा के प्राप्तांक, मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

(2) अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक नोट कर लें कि मुख्य परीक्षा में वे उसी अनुक्रमांक पर परीक्षा में बैठेंगे जो उन्हें प्रारम्भिक स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए आवंटित किया गया हो।

(3) मुख्य परीक्षा के लिये सफल घोषित अभ्यर्थियों को इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन (Online Application) करना होगा। इस संबंध में विस्तृत विवरण मुख्य परीक्षा के पूर्व अभ्यर्थियों को प्रेषित किए जाएंगे।

(4) मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों से सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा)/सहायक लेखाकार/निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान पद हेतु **Preference** लिए जाएंगे।

(5) मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं एवं आरक्षण के सम्बन्ध में किए गए दावे (जो उन्होने ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में किए हैं) की पुष्टि में अंकपत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों/अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। दावे की पुष्टि में प्रमाण–पत्र/अभिलेख संलग्न न करने पर अथवा प्रमाण पत्र/अभिलेख स्वप्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(6) मुख्य परीक्षा हेतु तिथियाँ तथा केन्द्र बाद में आयोग द्वारा निर्धारित किये जायेंगे जिसकी सूचना अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के माध्यम से तत्समय दी जाएगी।

(7) मुख्य परीक्षा के प्रश्न–पत्र हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे तथा प्रश्नों के उत्तर की भाषा प्रश्न–पुस्तिका एवं उत्तर पुस्तिका के अनुदेशों के अनुसार होगी। ''सामान्य हिन्दी'' के प्रश्नों के उत्तर हिन्दी भाषा में अथवा प्रश्न पुस्तिका के निर्देशानुसार व ''अंग्रेजी'' के प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी भाषा अथवा प्रश्न पुस्तिका के निर्देशानुसार देने होंगे।

(8) अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जॉच आयोग द्वारा परीक्षा के आगामी चरण में की जाएगी तथा उस समय अभ्यर्थियों को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा जहां उन्होंने शिक्षा पायी हो अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार का दो फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करना होगा।

(9) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने सेवा नियोजक का '**अनापत्ति प्रमाण–पत्र' मूल रूप में** प्रस्तुत करना होगा।

नोट : अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्रों में किये जाने वाले अपने समस्त दावे की पुष्टि में प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि वे समस्त दावे की पुष्टि में प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं करते है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

18. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश :–

(1) अभ्यर्थी को प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने होंगे। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को उत्तर देने के लिए कोई श्रुत लेखक नहीं दिया जाएगा; परन्तु दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के लिए श्रुत लेखक की व्यवस्था अनुमन्य होगी। श्रुत लेखक की शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट से अधिक नहीं होगी। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को प्रत्येक घण्टे के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय अनुमन्य होगा, परन्तु श्रुतलेखक की अनुमति आयोग से परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अवश्य प्राप्त करनी होगी, जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्र शपथ पत्र के साथ प्रार्थना पत्र सहित आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

(2) गलत उत्तरों के लिए दण्डः– वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दण्ड **(ऋणात्मक मूल्यांकन)** दिया जाएगा।

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प उत्तर हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गये अंकों का एक चौथाई दण्ड के रूप में काटा जाएगा।

(ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा; यदि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जाएगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(3) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के पश्चात आयोग द्वारा विहित अवधि के भीतर प्रश्न एवं सम्बन्धित उत्तर के सम्बन्ध में अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा।

(4) वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) के प्रश्न पत्रों में कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित है। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी केवल नॉन प्रोग्रामेबल किस्म के सरल बैटरी चालित पाकेट कैलकुलेटर का प्रयोग इस प्रतिबन्ध के अधीन कर सकते हैं कि सम्बन्धित प्रश्न–पत्र के निर्देश/नोट में भी इसके प्रयोग की अनुमति का उल्लेख हो।

(5) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर्स, स्कैनर पेन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा अन्य किसी इलेक्ट्रानिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए पाये जाते हैं तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन/पेजर्स, स्कैनर पेन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

(6) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धितः– कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करवायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(7) परीक्षा भवन में आचरण :– कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें तथा परीक्षा हाल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करें। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।

(8) अँगूठे का निशान (Thumb Impression):– सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरूष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दाँये अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(9) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(10) एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र या एक लिफाफे में एक से अधिक विज्ञापनों से सम्बन्धित आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में सभी आवेदन पत्र अस्वीकृत किए जाने योग्य होंगे। **यदि कोई अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए**

अपने नाम से एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो उसके सभी आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे तथा उनका अभ्यर्थन भी रद्द कर दिया जाएगा।

(11) **अन्तिम तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जाएगा।** अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर नहीं हैं, समयान्तर्गत प्राप्त होने के बावजूद, सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

(12) हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न किए जाने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(13) यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(14) अभ्यर्थी ओ0एम0आर0 आवेदन–पत्र पर ही आवेदन करेंगे। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(15) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते है, आवेदन करें और परीक्षा में बैठे।

(16) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के अन्त में छपे पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रकिया आदि के उल्लघंन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन–पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(17) **कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध कार्यवाहीः–**

एक अभ्यर्थी जो निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा –

(i) निम्नलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन प्राप्त किया है, अर्थात :

(क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, या

(ख) अनुचित दबाव डालना, या

(ग) परीक्षा आयोजित करने से संबधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना, अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हों, अथवा

(iii) प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति को परीक्षा दिलायी हो अथवा कूटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा

(iv) जाली प्रमाणपत्र या ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, अर्थातः

(क) गलत तरीके से प्रश्न–पत्र की प्रति प्राप्त करना,

(ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना,

(ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या

(vii) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या

(viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो, या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा

(ix) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा

(x) परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

(xi) परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान फोटो कैमरा, स्कैनर पेन, मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रोनिक उपकरण या यंत्र अथवा संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या

(xii) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवारों को भेजे गये प्रमाण–पत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया है, अथवा

(xiii) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या तो करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रॉसीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे –

(क) आयोग द्वारा किसी उम्मीदवार को उस परीक्षा के लिये अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा

(ख) उसे स्थाई रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए

1– आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है।

2– राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है।

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरूद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है, किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक :

1– उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो और

2– उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

(xiv) अभ्यर्थी ध्यान दें कि ओ0 एम0 आर0 तथा परम्परागत आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई असत्य विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपायें। अभ्यर्थी अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया जाली प्रलेख प्रस्तुत करें अन्यथा परीक्षा के किसी भी स्तर पर आयोग द्वारा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा नियमानुसार (विधिक) अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(18) उम्मीदवार प्रश्न पत्रों के उत्तर देते समय केवल भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप (जैसे 1,2,3,4 आदि) का ही प्रयोग करें।

(19) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र की संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(20) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

(21) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन को ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
सचिव

परिशिष्ट–1

जिन नगरों में प्रारम्भिक स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जायेगी, उनके नाम व कोड इस प्रकार हैः–

नगर (जनपद)	केन्द्र कोड		नगर (जनपद)	केन्द्र कोड
अल्मोड़ा (अल्मोड़ा)	01		कोटद्वार (गढ़वाल)	11
रानीखेत (अल्मोड़ा)	02		श्रीनगर (गढ़वाल)	12
पिथौरागढ़ (पिथौरागढ)	03		गोपेश्वर (चमोली)	13
नैनीताल (नैनीताल)	04		नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल)	14
हल्द्वानी (नैनीताल)	05		रूद्रप्रयाग (रूद्रप्रयाग)	15
रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)	06		उत्तरकाशी (उत्तरकाशी)	16
पन्तनगर (ऊधमसिंह नगर)	07		देहरादून (देहरादून)	17
बागेश्वर (बागेश्वर)	08		ऋषिकेश (देहरादून)	18
चम्पावत (चम्पावत)	09		हरिद्वार (हरिद्वार)	19
पौड़ी (गढ़वाल)	10		रूड़की (हरिद्वार)	20

परिशिष्ट–2

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र।
प्रमाण–पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील .... नगर ..... जिला ..... उत्तराखण्ड की .....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .....तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ..... तहसील .....नगर .....जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान :
दिनांक :
मुहर :

हस्ताक्षर .....
पूरा नाम .....
पदनाम .....
जिलाधिकारी/अपर जिला मैजिस्ट्रेट/सिटी मैजिस्ट्रेट/उप जिला मैजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील .... नगर ..... जिला ..... उत्तराखण्ड के राज्य की .... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची–2 से अधिसूचना संख्या–22/16/92–का–2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ....तहसील ..... नगर ..... जिला .....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर .....
पूरा नाम .....
पदनाम .....
मुहर .....
जिलाधिकारी/अपर जिला मैजिस्ट्रेट/सिटी मैजिस्ट्रेट/उप जिला मैजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के लिये प्रमाण–पत्र

(केवल शास0 सं0–1270/तीस–2/2004 दिनांक 11 अगस्त, 2004 व शास0 सं0–776/XX(4) 26/उ0आ0/2006–08 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 तथा शास0 सं0–637/XX(4)–26/उ0आ0/2006/09 दिनांक 13 अगस्त, 2010 के अधीन अर्ह सेवायोजन हेतु चिन्हित् आन्दोलनकारियों के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... **शास0 सं0–1270/तीस–2/2004 दिनांक 11 अगस्त, 2004 व शास0 सं0–776/XX(4)26/उ0आ0/2006–08 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 तथा शास0 सं0–637/XX(4)–26/उ0आ0/2006/09 दिनांक 13 अगस्त, 2010 के अनुसार जेल जाने वाले उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी के रूप में चिन्हित् है।**

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर .....
पूरा नाम .....
पदनाम .....
मुहर .....
जिलाधिकारी/अपर जिला मैजिस्ट्रेट

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के एक आश्रित के लिये प्रमाण–पत्र
(केवल शास0 सं0–4020/XX(4)–7/उ0आन्दो0/2006 दिनांक 08 नवम्बर, 2006 के अधीन अर्ह सेवायोजन हेतु चिन्हित् आन्दोलनकारियों के एक आश्रित के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला **शास0 सं0–4020/XX(4)–7/उ0आन्दो0/2006 दिनांक 08 नवम्बर, 2006 के अनुसार 07 दिन से अधिक अवधि तक जेल जाने वाले उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी श्री.....पुत्र श्री.....के एक आश्रित हैं।**

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर .....
पूरा नाम .....
पदनाम .....
मुहर .....
जिलाधिकारी/अपर जिला मैजिस्ट्रेट

विकलांगों के लिए प्रमाण–पत्र
(शासनादेश सं0 196 / XVII –2 / 2011–29(स0क0) / 2003 दिनांक 25 मार्च 2011 के अनुसार)

OFFICE OF THE CHIEF MEDICAL OFFICER.....

No.....

Dated.....

HANDICAP CERTIFICATE IN ACCORDANCE WITH THE G.O. N0.

7 /4/1971 KARMIK-2 (U.P.) DATED MAY 20, 1978

We Examined Sri / Smt./ Km/ .....aged about.....years.....on of / Daughter of / Wife of.....resident of .....whose Signature/ L.T.I./ R.T.I., is given below and certify that he/she is a case of .....

We certify that he/she is permanently physically handicapped person .

Orthopaedic surgeon (Member)
Eye Specialist (Member)

Signature of Candidate

Chief Medical Officer (President)

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र
शासनादेश संख्या 4 / 23 / 1982–2 / 1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .....सुपुत्र / पत्नी / सुपुत्री ..... निवासी ग्राम .....तहसील .... नगर ..... जिला .....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री / श्रीमती / कुमारी(आश्रित) .... पुत्र / पुत्री / पौत्र / अविवाहित पौत्री उपयंकित अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री / श्रीमती / (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर .....
पूरा नाम.....
पदनाम .....
मुहर .....
जिलाधिकारी .....
(सील) .....

कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र
शासनादेश संख्या–22/21/1983–कार्मिक–2 दिनांक 28 नवम्बर,1986
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण–पत्र के फार्म–1 से 4

फार्म–1

(मान्यता प्राप्त कीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)
सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम .....राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मज श्री ..... से दिनांक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित .....क्रीड़ा/ खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूनामेन्ट में .....स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये).

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर .....
पद .....
संस्था का नाम .....
.....
मुहर .....

नोट :– यह प्रमाण–पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

फार्म–2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)
(सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम) ..... राज्य सरकार की सेवाओं पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मज श्री ..... निवासी .....(पूरा पता)..... .....ने दिनांक..... से दिनांक .... तक ..... (क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट का स्थान).....आयोजित राष्ट्रीय .....में (क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र .....(प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर .....
पद .....
संस्था का नाम .....
.....
मुहर .....

नोटः– यह प्रमाण–पत्र प्रदेशीय खेलकूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

फार्म–3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की और से अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम.....राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री.....निवासी (पूरा पता).....विश्वविद्यालय की कक्षा .....(स्थान का नाम) में आयोजित अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालय .....(क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .....स्थान/मेडल प्राप्त किया गया। यह प्रमाण पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेलकूद .....विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया।

स्थान.....
दिनांक .....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पद नाम .....
संस्था का नाम.....
मुहर .....

नोट :– यह प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के डीन आफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेलकूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

फार्म–4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेलकूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/निदेशक, शिक्षा उत्तराखण्ड .....राज्य स्तर की सेवाओं पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री .....निवासी (पूरा पता).....में ....स्कूल में कक्षा.....(स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की .....(क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ....स्कूल की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .....स्थान प्राप्त किया। यह प्रमाण पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान.....
दिनांक .....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पद नाम .....
संस्था का नाम.....
मुहर .....

नोटः– यह प्रमाण पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उप निदेशक डाईरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

"परिशिष्ट–3"

सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा)/सहायक लेखाकार/निरीक्षक विधिक माप विज्ञान परीक्षा का पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना, प्रश्न–पत्र, अंक तथा परीक्षा अवधि

प्रारम्भिक स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु पाठयक्रम

सभी पदों हेतु 01 अनिवार्य प्रश्नपत्र

सामान्य अध्ययन, सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं सामान्य हिन्दी (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

समय : 02 घंटे **प्रश्नों की संख्या : 150** **पूर्णांक : 150**

खण्ड–1 सामान्य अध्ययन

प्रश्नों की संख्या : 90 **पूर्णांक : 90**

1. सामान्य विज्ञान, 2. भारत का इतिहास, 3. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन, 4. भारतीय राज्य तंत्र, अर्थ व्यवस्था एवं संस्कृति, 5. भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, 6. जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण (भारतीय परिप्रेक्ष्य में), 7. विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, 8. अधुनातन राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम,

9. उत्तराखण्ड की शिक्षा संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन–सहन, भौगोलिक, राजनैतिक पृष्ठ भूमि एवं सामाजिक प्रथाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी,

10. उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक, आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन तथा ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि।

खण्ड–2 सामान्य बुद्धि परीक्षण

प्रश्नों की संख्या : 30 **पूर्णांक : 30**

सामान्य बुद्धिमता : इसके अन्तर्गत प्रश्न सामान्य बुद्धिमता से संबंधित जैसे शाब्दिक और गैर–शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे और इसमें सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, समस्या, समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला आदि सम्मिलित होंगे। इसमें अभ्यर्थी की योग्यता का सामान्य विचार और संकेत और उनके संबंध, अंकगणितीय गणना तथा अन्य विश्लेषणात्मक कार्य आदि के प्रश्न भी शामिल होंगे।

खण्ड–3 सामान्य हिन्दी (सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण)

प्रश्नों की संख्या : 30 **पूर्णांक : 30**

(i) विलोम (पाँच शब्द), (ii) वाक्य एवं वर्तनी शुद्वि (पाँच वाक्य), (iii) अनेक शब्दों के एक शब्द (पाँच शब्द), (iv) तत्सम एवं तदभव शब्द (पाँच शब्द), (v) विशेष्य एवं विशेषण (पाँच शब्द), (vi) पर्यायवाची शब्द (पाँच शब्द)

मुख्य परीक्षा हेतु पाठयक्रम

- **नोट 01– मुख्य परीक्षा के प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न–पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगें।**
- **नोट 02– मुख्य परीक्षा का तृतीय प्रश्न–पत्र केवल सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा)/सहायक लेखाकार पद से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को ही देना होगा।**
- **नोट 03– अभ्यर्थियों को द्वितीय प्रश्न–पत्र (सामान्य हिन्दी तथा निबन्ध) में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।**

प्रथम प्रश्न–पत्र

सामान्य अध्ययन (परम्परागत प्रकार)

समय : 03 घंटे **पूर्णांक : 100**

टिप्पणीः–इस प्रश्न–पत्र में 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। कम से कम 03 प्रश्नों की प्रकृति विस्तृत प्रकार की होगी, जिसकी शब्द सीमा 250 होगी एवं 05 प्रश्न लघु टिप्पणी प्रकृति की होगी, जिसकी शब्द सीमा 50 तथा शेष 02 प्रश्न व्याख्यात्मक टिप्पणी से सम्बन्धित होगी, जिसकी शब्द सीमा 125 होगी।

1. सामान्य विज्ञान, 2. भारत का इतिहास, 3. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन, 4. भारतीय राज्य तंत्र, अर्थ व्यवस्था एवं संस्कृति, 5. भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, 6. जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण (भारतीय परिप्रेक्ष्य में), 7. विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, 8. अधुनातन राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम,

9. उत्तराखण्ड की शिक्षा संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन–सहन, भौगोलिक, राजनैतिक पृष्ठ भूमि एवं सामाजिक प्रथाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी,

10. उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक, आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन तथा ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, 11. पर्यावरण एवं कम्प्यूटर, 12. भारतीय संविधान का आधारभूत ज्ञान, 13. सांख्यिकी विश्लेषण, आलेख एवं रेखा–चित्र।

द्वितीय प्रश्न–पत्र

सामान्य हिन्दी तथा निबन्ध (परम्परागत प्रकार)

समय : 03 घंटे **पूर्णांक : 100**

खण्ड–1 सामान्य हिन्दी

प्रश्नः 07 **पूर्णांकः 50**

1. दिये हुये गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं तीन रेखांकित अंशों की व्याख्या	10 अंक
2. किसी दिये गये पत्र का सारणीय रूप (Tabular form) में सार लेखन	5 अंक
3. पत्राचार	10 अंक
(1) शासकीय/अर्द्धशासकीय पत्र	
(2) कार्यालय आदेश/ज्ञाप/परिपत्र/विज्ञप्ति/टिप्पण/प्रतिवेदन एवं अनुस्मारक	
4. पारिभाषिक शब्दावली	10 अंक
(1) अंग्रेजी से हिन्दी (पॉच शब्द)	
(2) हिन्दी से अंग्रेजी (पॉच शब्द)	
5. वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि (पॉच)	05 अंक
6. अनेक शब्दों के एक शब्द (पॉच शब्द)	05 अंक
7. पर्यायवाची शब्द (पॉच शब्दों के दो–दो पर्यायवाची)	05 अंक

खण्ड–2 निबन्ध

पूर्णांक : 50

इस प्रश्न–पत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित शीर्षकों में से किसी 05 शीर्षक से सम्बन्धित निबन्ध दिये जायेंगे। अभ्यर्थियों को इनमें से किसी एक शीर्षक पर अंग्रेजी अथवा हिन्दी भाषा में लगभग 600 शब्दों का एक सारगर्भित निबन्ध लिखना होगा।

1. साहित्य और संस्कृति
2. सामाजिक क्षेत्र
3. राजनीतिक क्षेत्र
4. विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी
5. आर्थिक क्षेत्र
6. कृषि ,व्यापार एवं पर्यटन
7. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम
8. प्राकृतिक आपदायें– भूस्खलन, चक्रवात, भूकम्प, बाढ, सूखा इत्यादि।
9. राष्ट्रीय विकास योजनायें

तृतीय प्रश्न–पत्र

वाणिज्य एवं कम्प्यूटर का आधारभूत ज्ञान (परम्परागत प्रकार)

समय : 03 घंटे **पूर्णांक : 100**

टिप्पणीः– इस प्रश्न–पत्र में कुल 12 प्रश्न होंगे। प्रत्येक खण्ड (PART) में 04 प्रश्न होंगे, जिसमें से अभ्यर्थी को 02 प्रश्नों का अनिवार्यतः चयन करते हुये कुल 06 प्रश्नों का उत्तर देना होगा।

COMMERCE

PART-I ACCOUNTING

(35 Marks)

Accounting: Nature, Scope and Objectives, uses of Accounting: as an Information System, as an aid to Management and other users of accounting information.

Principles of Accounting; Accounting concepts, conventions and Equations. Capital and Revenue Receipts and expenditures. Depreciation Accounting. International and Indian Accounting Standards.

Preparation of Final Accounts of Sole Proprietorships.

Partnership Accounting: Problems relating to Admission, Retirement and Death of a Partner. Dissolution of a firm including piecemeal distribution among partners.

Company Accounting: Issue of shares and Debentures; Redemption and conversion of Debentures; Treatment of Profits prior to Incorporation; Capitalisation of Profits and Issue of Bonus Shares, Statutory provisions regarding preparation of Final Accounts of Companies.

Accounting of Non-Trading Organisation- Receipt & Payment Account, Income and Expenditure Account. Preparation of accounts from incomplete records. Valuation of Goodwill and shares.

Auditing:

Auditing: Nature, Basic principles and objectives.

Techniques of Auditing: Examination of documents and vouchers, Physical verification, Direct confirmation, Test checking and sampling.

Planning an Audit: Audit Programme, working papers and Audit Process-Internal Control, Internal Check and Internal Audit and their effects on Audit Programme.

Audit of different business organizations: Audit of sole proprietory and Partnership Firms and Joint Stock Companies.

PART-II

(35 Marks)

BUSINESS ORGANISATION, MANAGEMENT AND SECRETARIAL PRACTICES

Different forms of Business Organisations: Their main features. Sole Proprietorship and Joint Hindu Family Business.

Partnerships – Characteristics, Registration, Partnership Deed; Rights, duties and liabilities of partners; Admission, Retirement and Death of a Partner; Dissolution of a Partnership Firm.

Joint Stock Company: Characteristics and Types: Formation and Incorporation of Companies; Types of Securities and methods of their issue. Doctrines of Indoor Management, Constructive notice and Ultra vires.

Cooperative, Public Enterprises- their forms of organistion.

Business combination: Types and importance. Monopolies and Restrictive Trade Practices. Modernisation and Restrictive Trade Practices. Modernisation and Rationalisation of Business and industrial organisation.

Social Restrictive of Business in a liberalised economy.

Foreign Trade: The theory of comparative cost, Import and Export Trade, Procedure and Financing of Import and Export Trade. Export-Promotion: Techniques and Incentives, EXIM Bank.

Insurance: Principles and practices of Life, Fire, Marine and General Insurance. Insurance business in global scenario, Privitisation of insurance business in India.

Management:

Management: Concept, scope and functions.

Planning- Objectives and strategies.

Organising – Ogranisational structure, Formal and Informal Organisation Levels of Authority Line and Staff organizations, Centralisation, Decentralisation and Delegation of Authority.

Staffing- Selection, Placement and Training, Wage and Salary Administration, Job specification and job Evaluation.

Directing: Principles and stragtegies.

Leadership, Communication and Motivation.

Coordination: Concept and Methods.

Control: Principles and Practices, Setting Performance standards &evaluation, corrective actions. Span of Control.

Management by objectives, Management by exception, Management of change and crisis management.

Office Management:

Principles and scope, system and routines, handling and maintenance of Office Records Modern aids to Office Management- Office equipments and machines, Automation and computersation. Rationalisation of office services.

Marketing Management- Concept, segmentation, Promotion decisions.

Company Secretary:

Qualifications, appointment, role and functions; Rights, Duties and Liabilities of a company secretary; Drafting of Agenda and Minutes;

PART-III

Basic Knowledge of Computers Science

(Marks-30)

1. **Introduction to Information Technology**
   Definition of computer, Computer Generations and Classification, Binary Arithmetic, Computer languages, Operating Systems, Computer & communications, Data and Information, Data acquisition, Data storage, Central processing unit, Basics of Computer Networks, Input/Output devices, Data processing, Business information systems, Social impacts of information technology.

2. **Internet & web Technologies**.
   Introduction , Internet technology and protocols, World Wide Web, Browsers, Electronic mail, File transfer protocol, Telnet and internet relay chat, Basics of HTML, Internet Security, Information privacy and copy right issues.
3. **Programming and problem solving through C** :
   Data types and operators, Data input & output, Control statements, Functions, Program structures, Arrays, Pointers, Structures and union, Data files.
4. **Relational Database Management Systems**
   Database systems –needs and applications, view of data, Data storage and querying, Database languages, Design structure of relational database, Relational algebra operations, Modification of databases, Simple queries in SQL, Database design.